CMYK +

BPSC

बिहार लोक सेवा आयोग

मुख्य परीक्षा

69th BPSC
संयुक्त एवं CDPO
मुख्य परीक्षा
हेतु उपयोगी

सॉल्व्ड पेपर्स

पेपर-I एवं पेपर-II

68वीं से 48वीं संयुक्त परीक्षा

डॉ. रणजीत कुमार सिंह, IAS (AIR-49)

विषय-सूची

- 68वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2023 1
- 68वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2023 21
- 67वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2022 1
- 67वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2022 18

BPSC मुख्य परीक्षा सॉल्व्ड पेपर्स 1-216

- 66वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2021 1
- 66वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2021 18
- 65वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2020 29
- 65वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2020 49
- 64वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2019 62
- 64वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2019 76
- 63वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2019 88
- 63वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2019 104
- 60वीं-62वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2018 117
- 60वीं-62वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2018 132
- 56वीं-59वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2016 144
- 56वीं-59वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2016 161
- 53वीं-55वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2012 173
- 53वीं-55वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2012 185
- 48वीं-52वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर I-2009 195
- 48वीं-52वीं BPSC (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन सॉल्व्ड पेपर II-2009 207

BPSC
बिहार लोक सेवा आयोग
68वीं (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन
सॉल्व्ड पेपर I-2023

निर्धारित समय : 3 घंटे | पूर्णांक : 300

अनुदेश–

- उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं।
- खंड-I एवं खंड-II प्रत्येक में से तीन-तीन प्रश्न तथा खंड-III से दो प्रश्नों का चयन करते हुए कुल आठ प्रश्नों के उत्तर दें।
- परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
- सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है, तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा।
- एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएँ तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर ना लिखे जाएँ।

पेपर-I : सामान्य अध्ययन

खंड-I

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) भारत सरकार अधिनियम 1858

(ख) बिरसा मुंडा आंदोलन

(ग) इंडिगो/नील विद्रोह

(घ) पटना कलम चित्रकला

(ङ) प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास

उत्तर - (क) भारत सरकार अधिनियम, 1858

भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के पारित होने से पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। हालाँकि, 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को एक जोरदार झटका दिया और उन्होंने भारत में शासन की मौजूदा व्यवस्था को बदलने का फैसला किया। इसके अंतर्गत, एक नया अधिनियम पारित किया गया जिसके कारण भारत में कानून की शक्ति कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हो गई।

भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसे "भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम" के रूप में भी जाना जाता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं -

ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को सत्ता का हस्तांतरण: इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश ताज ने भारत पर सीधा नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे यह ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया।

भारत के लिए 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' के पद का गठन-इस अधिनियम ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के लिए 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' का पद स्थापित किया। 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री हुआ करता था। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान एक जिम्मेदार प्रमुख प्राधिकारी बन गया और उसके पास देश के शासन पर महत्त्वपूर्ण शक्तियां आ गयीं। भारत सरकार अधिनियम, 1858 के बाद लॉर्ड स्टेनली भारत के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने।

वायसराय और गवर्नर जनरल-इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत के वायसराय से बदल दिया।

भारतीय सिविल सेवाएँ-यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश प्रशासन की सेवा के लिए सिविल सेवकों की भर्ती और नियुक्ति का प्रावधान करता था। भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों से बनी थी और देश पर शासन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।

धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता-इस अधिनियम ने यह घोषणा की कि भारत के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में हस्तक्षेप करने के लिए कोई नया कानून नहीं बनाया जा सकता है, जिससे कुछ हद तक धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।

भारतीय प्रतिनिधित्व-अधिनियम ने भारतीय मामलों पर राज्य सचिव को सलाह देने के लिए "भारत परिषद" का एक नया कार्यालय बनाया। परिषद में कुल पंद्रह सदस्य शामिल थे।

कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन-इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार गतिविधियों को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के अधीन एक अधिक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की।

हालाँकि भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण बदलावों को चिह्नित किया, लेकिन यह और अधिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन की भारतीय मांगों को संबोधित करने में विफल रहा। इसके बाद, भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई अन्य अधिनियम भी पारित किए गए।

(ख) बिरसा मुंडा आंदोलन

बिरसा मुंडा 19वीं सदी के एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। वह मुख्य रूप से बिहार और झारखंड के आदिवासी इलाके में सक्रिय थे। उन्होंने आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लाने के लिए आदिवासी समुदाय को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उनके नेतृत्व में यह आदिवासी आंदोलन 'बिरसा मुंडा आंदोलन' के नाम से जाना गया।

बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य -

- **आदिवासी भूमि अधिकारों का संरक्षण**-ब्रिटिश शासन के दौरान, वन और आदिवासी भूमि पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा था और गैर-आदिवासी उपयोग के लिए स्थानांतरित किया जा रहा था। इस आंदोलन ने आदिवासी लोगों की पारंपरिक भूमि और वन अधिकारों की रक्षा करने की मांग की।
- **धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान**-अंग्रेज तेजी से आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे जिससे आदिवासियों की पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को नुकसान पहुँच रहा था। इस आंदोलन का एक उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, मान्यताओं और धार्मिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करना था।
- **सामाजिक समानता और न्याय**-आदिवासी न केवल अंग्रेजों द्वारा बल्कि समतावादी समाज द्वारा भी सामाजिक असमानताओं और भेदभाव का शिकार थे। इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसी असमानता को कम करना था।
- **राजनीतिक स्वायत्तता**-आंदोलन ने औपनिवेशिक प्रशासन से स्व-शासन और स्वतंत्रता की मांग की, जिसका लक्ष्य आदिवासियों के लिए उनके सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों के आधार पर शासन की अपनी प्रणाली स्थापित करना था।

बिरसा मुंडा आंदोलन ने कुशलतापूर्वक विभिन्न आदिवासी समूहों को एक आम उद्देश्य के अंतर्गत एकजुट किया और दमनकारी ताकतों के खिलाफ कई विद्रोह किए। इसने न केवल औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ स्वदेशी समुदायों के प्रतिरोध को उजागर किया, बल्कि सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले बाद के आंदोलनों को भी गति प्रदान की।

(ग) नील (इंडिगो) विद्रोह

नील विद्रोह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, जिन्होंने उन शर्तों के तहत उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था, जो किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल थीं। नील विद्रोह 1859-1860 में बंगाल में हुआ था।

विद्रोह की मुख्य विशेषताएं-

भारत में किसान पहले से ही ब्रिटिश शासन के तहत उच्च लगान, अवैध उगाही, मनमानी बेदखली और अवैतनिक मजदूरों से पीड़ित थे। अत्यधिक बोझ से दबे किसानों को अपनी आजीविका का एकमात्र स्रोत खोने का डर सता रहा था। ऐसी परिस्थिति में भारतीय किसानों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई।

दुनिया भर में इसकी भारी मांग के कारण 1777 ई. में नील की खेती बंगाल और बिहार में व्यापक पैमाने पर शुरू हुई। यूरोप में नीले रंग की अधिक मांग के कारण नील का व्यापार लाभदायक था। यूरोपीय बागान मालिकों का नील पर एकाधिकार था और उन्होंने भारतीय किसानों के साथ छलपूर्वक समझौते करके उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया।

भारतीय किसानों और खेतिहरों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। किसानों को नील की खेती के लिए ऋण दिया गया था और एक बार ऋण लेने पर, जब किसान असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण उन्हें चुकाने में विफल रहे, तो इससे किसानों की संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके लिए ऋण एक जाल बन गया। जब किसानों ने नील की कीमत में संशोधन की मांग की तो उन्हें क्रूर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

इसका मुकाबला करने के लिए किसानों ने 1859 में नील विद्रोह शुरू किया। यह विद्रोह तत्कालीन बंगाल के विभिन्न जिलों में फैला हुआ था। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी मांगों को सुनने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और सविनय अवज्ञा जैसे प्रतिरोध के अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया।

इस आंदोलन को कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों और ब्रिटिश समाज सुधारकों सहित भारतीय समाज के अन्य वर्गों का ध्यान और समर्थन प्राप्त हुआ। बढ़ते दबाव और खराब प्रचार के कारण, अंततः ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान दिया और किसानों की शिकायतों की जांच शुरू की।

इन जांचों और सार्वजनिक आक्रोश के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश संसद ने 1860 में इंडिगो कमीशन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने बागान मालिकों और किसानों के बीच निष्पक्ष समझौते स्थापित करने और बागानों पर काम करने की स्थिति में सुधार करने की मांग की।

1859-1860 के नील विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय किसानों की पहली हड़ताल माना जा सकता है। यह विद्रोह यूरोपीय बागान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ वर्षों से जमा हुए भारतीय किसानों और किसानों के उत्पीड़न और आक्रोश का परिणाम था।

(ङ) पटना कलम चित्रकारी

- पटना कलम चित्रकारी भारतीय लघु चित्रकला की एक अनूठी शैली है जिसकी उत्पत्ति बिहार के पटना शहर में हुई थी। यह कला मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। हालाँकि यह कला रूप मुगल दरबार से निकला है, फिर भी यह शायद ही कभी राजघराने और दरबार के दृश्यों पर केंद्रित रही है और आम आदमी के दैनिक जीवन को दर्शाती है। रंगों का साहसिक उपयोग, जटिल विवरण और अद्वितीय विषय-वस्तु इस कला की विशेषताएँ हैं जो क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। इस कलाकृति के मुख्य खरीदार अंग्रेज थे जो इसे पटना से खरीदते थे
- चित्रकारी की इस शैली को संरक्षण देने वाले कलाकारों ने जानवरों के बालों, विशेषकर गिलहरी के बालों से बने बेहद महीन ब्रशों का इस्तेमाल किया। उपयोग किए गए रंग खनिज रंगों, पौधों और फूलों के जल रंगों से विकसित किए गए थे। पटना कलम शैली का अभ्यास करने वाले कलाकारों को "कारखानेदार" के नाम से जाना जाता था।
- यह चित्रकला हस्तनिर्मित कागजों, बांस की चादरों और हाथी-दांत पर बनाई जाती है।
- यह चित्रकारी की एक द्वि-आयामी शैली है और इसे बिना किसी बॉर्डर के गहरे, विपरीत रंगों के साथ बनाया जाता है, जो चित्रों को एक ज्वलंत, आकर्षक गुणवत्ता प्रदान करता है। नील, अनार के छिलके और हल्दी जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग इसकी अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।
- यह चित्रकला आम तौर पर हिंदू पौराणिक कथाओं जैसे कृष्ण या रामायण के जीवन के दृश्यों के साथ-साथ 18वीं शताब्दी में स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन के दृश्यों को भी दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, काम करता हुआ किसान, नदी से पानी ले जाती महिलाएं और पटना की सड़कों पर व्यापारी जैसे दृश्य।
- इस चित्रकला ने अपने संरक्षकों की संख्या में कमी के साथ अपनी जीवंतता खो दी। राधा मोहन बाबू इस शैली के अंतिम चित्रकारों में से एक हैं। उन्होंने पटना आर्ट स्कूल की स्थापना की जहाँ चित्रकला की यह शैली कुछ हद तक विकसित हुई।

(च) प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास-

भारत में गुफा वास्तुकला मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच शुरू हुई। बौद्ध और जैन भिक्षु इन गुफाओं का उपयोग पूजा स्थल के रूप में करते थे। प्राचीन काल के दौरान पूर्वी भारत में गुफा विकास के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं -

- **गुफाओं की भूमिका**-प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास मुख्य रूप से उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य प्रथाओं से प्रभावित था। इन गुफाओं का उपयोग मठवाद, पूजा और ध्यान के लिए किया जाता था।
- **बौद्ध धर्म और जैन धर्म**-पूर्वी भारत की गुफाएँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार से निकटता से जुड़ी हुई थीं। यह क्षेत्र दोनों धर्मों के लिए एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था, और कई गुफाओं का निर्माण मठ में निवास, विहार (बौद्ध मठ), और चैत्य (बौद्ध प्रार्थना कक्ष) के रूप में किया गया था।
- **रॉक-कट वास्तुकला**-पूर्वी भारत में गुफाएँ आम तौर पर अखंड संरचनाएँ होती थीं यानी वे ठोस चट्टान से बनी हुई थीं। नरम चट्टानों की प्रचुरता और पहाड़ियों और चट्टानों को तराश कर गुफा संरचनाएं बनाने में आसानी के कारण वास्तुकला का यह रूप लोकप्रिय हो गया।
- **अजंता की गुफाएँ**-ये गुफाएँ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और पाँचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं तथा कुछ बेहतरीन चट्टानों को काटकर बनाए गए मठ परिसरों का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपने उत्कृष्ट भित्तिचित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ**-पूर्वी भारत के ओडिशा में भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। इन्हें जैन भिक्षुओं के लिए तराशा गया था और ये अपनी जटिल नक्काशी, शिलालेखों और मठवासी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **एलोरा की गुफाएँ**-महाराष्ट्र में स्थित, छठी से नवीं शताब्दी ई.पू. की एलोरा की गुफाएँ, भारत में प्राचीन रॉक-कट वास्तुकला का महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस परिसर में हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं शामिल हैं, जो विभिन्न धार्मिक परंपराओं के सह-अस्तित्व और प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं।

- **वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान**-गुफाओं की वास्तुकला अक्सर उस समय के प्रचलित धार्मिक और सांस्कृतिक रूपांकनों को प्रतिबिंबित करती है। बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर स्तूप, बुद्ध की छवियां और बुद्ध के जीवन की कहानियां होती थीं। जैन गुफाओं में जैन तीर्थंकरों और यक्षों की छवियां प्रदर्शित होती थीं।
- **संरक्षण**-इन गुफाओं के निर्माण को शासकों, धनी व्यापारियों और बौद्ध एवं जैन धर्म के कट्टर अनुयायियों का समर्थन प्राप्त था।
- **पतन और पुनर्खोज**-भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पतन के साथ इन गुफाओं का उपयोग और रखरखाव कम हो गया। कई गुफाओं को समय के साथ छोड़ और भुला दिया गया था, लेकिन आधुनिक युग में पुरातत्त्वविदों और इतिहासकारों द्वारा इन्हें फिर से खोजा गया।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास उस समय के समृद्ध धर्मों यानी बौद्ध और जैन परंपराओं से निकटता से जुड़ा हुआ था। ये गुफाएँ भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाती हैं और अभी भी पूजा, ध्यान और मठवासी जीवन के महत्त्वपूर्ण केंद्रों के रूप में काम करती हैं, जो प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य उपलब्धियों को प्रदर्शित करती हैं।

2. (क) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। इसने स्वतन्त्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी ?

उत्तर- राष्ट्रवाद का तात्पर्य समान जाति, संस्कृति, भाषा वाले लोगों के समूह की राष्ट्र की संप्रभुता (स्वशासन) प्राप्त करने की इच्छा से है। स्व-शासन प्राप्त करने के लिए ऐसे समूह या लोगों के नेतृत्व में किया गया जन आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद यानी उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में उभरना और बढ़ना शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे प्रमुख कारण थे:

- **राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण**-अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक व्यापार और उद्योगों की शुरुआत और रेलवे, टेलीग्राफ व एकीकृत डाक प्रणालियों की शुरुआत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ ला दिया था और लोगों के बीच आम संपर्क को बढ़ावा दिया था।
- **पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव**-19वीं शताब्दी के दौरान नवीनतम पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के कारण, बड़ी संख्या में भारतीयों को आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता थी। इन अंग्रेजी-शिक्षित बुद्धिजीवियों ने नव-उत्पन्न राजनीतिक व्यवधान का मूल आधार बनाया और इसने वैश्विक स्तर पर आम भारतीयों की मांगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया।
- **सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन**-विभिन्न सामाजिक-धार्मिक आंदोलन जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, देव समाज, प्रार्थना समाज, तत्त्वबोधिनी सभा, थियोसोफिकल सोसायटी, युवा बंगाल आंदोलन, देवबंद आंदोलन, फ़राज़ी आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और अहमदिया आंदोलन आदि ने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक अन्याय और निरक्षरता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया।
- **मीडिया, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का विकास**-अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में आधुनिक प्रेस के उद्‌भव के साथ, आम भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देना आसान हो गया।
- **अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां**-ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों ने भारतीयों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए मजबूर किया। इससे राजनीतिक संघों का विस्तार हुआ।
- **भारत के बाहर राष्ट्रीय आंदोलन**-भारत के बाहर कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए जैसे रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आदि, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी-

- **मांगों की अभिव्यक्ति**-राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीयों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकारों, आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए अपनी मांगों को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित किया।
- **जन लामबंदी**-महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अपने उद्देश्य की नैतिक ताकत पर जोर देने के लिए अहिंसक सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह (सत्य की शक्ति) का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश नीतियों के ख़िलाफ़ विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर लामबंदी वर्षों तक होती रही।
- **नए नेताओं का उदय**-कुछ लोगों द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आंदोलन में बाद में कई दूरदर्शी नेता शामिल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भारत को आजादी मिली। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने संघर्ष को स्पष्ट दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान की।
- **सविनय अवज्ञा और असहयोग**-भारतीय जनता ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के शक्तिशाली उपकरणों के रूप में सविनय अवज्ञा और असहयोग जैसे अहिंसक तरीकों को सीखा।
- **समान लक्ष्य और धार्मिक एकता**-सभी भारतीयों का, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति और भाषा के हों, राष्ट्र की संप्रभुता का एक समान लक्ष्य था। इससे मतभेदों को दूर करने में मदद मिली और पूरे भारत में भाईचारे को बढ़ावा मिला। आंदोलनों ने विशिष्ट शिकायतों को संबोधित किया और स्वतंत्रता के लिए समग्र गति में योगदान दिया।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और विभिन्न आंतरिक कारकों की प्रतिक्रिया थी। इसने मांगों को स्पष्ट करके, जनता को संगठित करके, अहिंसक प्रतिरोध को बढ़ावा देकर और विभिन्न समूहों के बीच एकता को बढ़ावा देकर स्वतंत्रता संग्राम को एक स्पष्ट दिशा प्रदान की। आंदोलन के नेताओं और विचारधाराओं ने भारत के उसकी अंतिम स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अथवा

(ख) ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर- 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (BEIC) से प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बीईआईसी ने भारत में शिक्षा में सुधार के लिए बहुत कम काम किया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश राज ने भारत में अपने उद्योगों और कंपनियों के लिए शिक्षित और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत में शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के उत्थान का फैसला किया।

औपनिवेशिक बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं और नीतियों से प्रभावित था। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की सेवा करना था -

- **पटना स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग (1886)**-1886 में पटना स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना से बिहार में तकनीकी शिक्षा की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के तहत बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कुशल इंजीनियरों को तैयार करना था। हालाँकि इसने तकनीकी विशेषज्ञता की तत्काल आवश्यकता को संबोधित किया, लेकिन इंजीनियरिंग पर इसके संकीर्ण फोकस के कारण इसका प्रभाव सीमित था।
- **उद्योगों के लिए तकनीकी संस्थान**-19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटिश सरकार ने कपड़ा, इंजीनियरिंग और कृषि जैसे उद्योगों के लिए विशिष्ट तकनीकी संस्थान स्थापित किए। इन संस्थानों का उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करने और उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। बिहार में जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप एक रेलवे वर्कशॉप है जिसकी स्थापना 8 फरवरी, 1862 को भारत में पहली पूर्ण रेलवे वर्कशॉप सुविधा के रूप में की गई थी।
- **प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव**-दो विश्व युद्धों ने बिहार सहित भारत में तकनीकी शिक्षा को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश प्रशासन ने युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को पहचाना। इसलिए उन्होंने विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना करके स्थानीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- **कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएँ**-जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ अकाल की कई घटनाओं के कारण, अंग्रेजों को कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए, औपनिवेशिक सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं शुरू कीं जिनमें स्थानीय किसानों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना शामिल था।
- **1948 का तकनीकी शिक्षा अधिनियम**-इस अधिनियम के कारण विभिन्न राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई। हालांकि यह तकनीकी शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक सकारात्मक कदम था, लेकिन सीमित फंडिंग और बुनियादी ढांचे के कारण इसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।

बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव रहे-

सकारात्मक प्रभाव-

- इंजीनियरिंग कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों आदि के कारण भारत में पश्चिमी प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण हुआ। धीरे-धीरे भारतीयों ने आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ कुशल और शिक्षित होकर बड़े पैमाने पर आबादी को शिक्षित करने के लिए स्थानीय संस्थानों की स्थापना की।
- कृषि पर निर्भरता कम हो गई, क्योंकि लोगों को आजीविका का दूसरा रास्ता मिल गया।
- भारतीयों की जीवनशैली और लक्ष्य बदल गये।

नकारात्मक प्रभाव-

- औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासन और उद्योगों के हितों की पूर्ति करती थी। भारत में निर्मित होने वाली अधिकांश वस्तुएँ स्थानीय विकास की आवश्यकता के अनुसार नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप थीं।
- औद्योगिक शिक्षा और उद्योगों ने अंग्रेजों और कुलीन वर्ग को समाज के गरीब वर्ग को परेशान करने के नये तरीके दिये। काम करने के लंबे घंटों के साथ-साथ अस्वच्छ कामकाजी परिस्थितियों और सुरक्षा की कमी के कारण औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति खराब हो गई।

- **शिक्षा और ज्ञानोदय**-टैगोर ने लोगों के बीच सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने शांति निकेतन में प्रसिद्ध विश्व-भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों के छात्र सीखने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ आ सकते थे। वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में विश्वास करते थे जो व्यक्तिगत रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और वैश्विक नागरिकता की भावना का पोषण करती हो।
- **ग्रामीण पुनरुद्धार और स्थिरता**-टैगोर ग्रामीण समुदायों पर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाव के बारे में चिंतित थे। उन्होंने शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच एक संतुलित और टिकाऊ रिश्ते की वकालत की, जहां ग्रामीण समुदायों के ज्ञान और परंपराओं को महत्त्व दिया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा।
- **कला और सौंदर्यशास्त्र पर जोर**-टैगोर ने सामंजस्यपूर्ण समाज के अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और मानवीय भावनाओं और अनुभवों की गहरी समझ को प्रेरित करने के लिए अपनी कविता, संगीत और नाटकों का उपयोग किया।
- **उपनिवेशवाद की आलोचना**-भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान टैगोर साम्राज्यवाद और स्वदेशी संस्कृतियों पर इसके प्रभाव के आलोचक थे। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के कारण हुए सांस्कृतिक क्षरण का मुकाबला करने के लिए स्थानीय परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के महत्त्व पर जोर दिया।
- **महिला सशक्तिकरण**-महिला सशक्तिकरण पर टैगोर अपने विचारों में प्रगतिशील थे। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत की और उनकी बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता में अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने अपने लेखन में अपने समय के सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हुए मजबूत और स्वतंत्र महिला पात्रों का चित्रण किया।

इस प्रकार, समाज और संस्कृतियों के बारे में टैगोर के विचारों में मानवीय गरिमा, विविधता और विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की क्षमता की गहरी सराहना की विशेषता थी। उनका दर्शन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रभावशाली है, क्योंकि उनका लेखन लोगों को बहुलवाद को अपनाने और अधिक समावेशी एवं प्रबुद्ध समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है।

खंड-II

4. **निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-**

(क) 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइड्स जंबूरी का आयोजन कहाँ किया गया था ? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 4 जनवरी 2023 को पाली, राजस्थान में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन किया। भारत स्काउट्स और गाइड्स पंथ, नस्ल या लिंग के किसी भी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़कियों के चरित्र निर्माण के लिए काम करते हैं। भारत स्काउट्स और गाइड्स की 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी के उद्देश्य निम्नलिखित थे-

- **स्काउटिंग और गाइडिंग को बढ़ावा देना**-जंबूरी स्काउटिंग और गाइडिंग आंदोलनों के सिद्धांतों, मूल्यों और गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। उनका लक्ष्य स्काउट या गाइड होने के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। देश भर के स्काउट्स को समायोजित करने के लिए, निंबले गांव में 220 हेक्टेयर क्षेत्र पर सभी सुविधाओं के साथ एक स्मार्ट गांव स्थापित किया गया था और कार्यक्रम स्थल पर 3500 तंबू लगाए गए थे।
- **एकता और मित्रता का निर्माण**-जंबूरी प्रतिभागियों के बीच एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते हैं। स्काउट्स और गाइड्स को विभिन्न क्षेत्रों के साथी स्काउट्स और गाइड्स से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिलता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समझ और दोस्ती को बढ़ावा मिलता है। 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स ने भाग लिया।
- **व्यक्तिगत विकास**-विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से स्काउट्स और गाइडों को व्यक्तिगत विकास के अवसर मिलते हैं। वे नए कौशल सीखते हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं।
- **साहसिक और बाहरी गतिविधियाँ**-जंबूरी में अक्सर बाहरी गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला होती है, जैसे कैम्पिंग, लंबी पैदल यात्रा, पानी के खेल और टीम-निर्माण चुनौतियाँ। ये गतिविधियाँ प्रतिभागियों को प्रकृति को अपनाने और पर्यावरण के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान**-विविध पृष्ठभूमि के प्रतिभागी जंबूरी में एक साथ आते हैं, जिससे समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अनुभव होता है। वे समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और दृष्टिकोणों को साझा करते हैं।
- **नागरिकता और सामुदायिक सेवा**-जंबूरी में सामुदायिक सेवा परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं, जो सक्रिय नागरिकता के महत्त्व और समाज को वापस देने पर जोर देती हैं।

- निष्कर्षत: बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा का विकास ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और नीतियों से प्रभावित था। हालाँकि इन पहलों ने कुछ तात्कालिक जरूरतों को संबोधित किया, लेकिन उनमें एक मजबूत और विविध तकनीकी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण और निरंतर प्रतिबद्धता का अभाव था।

3. (क) प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर- मंदिर एक इमारत या संरचना है जो आध्यात्मिक अनुष्ठानों और गतिविधियों जैसे भगवान की प्रार्थना और बलिदान के लिए आरक्षित है। भारत में मंदिरों का निर्माण मुख्यत: तीन प्रकार की वास्तुकला के आधार पर किया जाता है। नागर शैली मुख्यत: उत्तर भारत में पाई जाती है; द्रविड़ शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है और वेसर शैली, नागर और द्रविड़ का मिश्रण, मध्य भारत में पाई जाती है। सबसे पहले संरक्षित हिंदू मंदिर साधारण लकड़ी के और कुछ चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाएं हैं, लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त राजवंश के प्रारंभ से पहले पत्थर से बने मंदिरों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। उत्तर भारत के मंदिरों को मोटे तौर पर कई अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- **प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 3300-1300 ईसा पूर्व)**-हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि उस समय शिव और मातृ देवी की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी, लेकिन मंदिर निर्माण का कोई सटीक प्रमाण नहीं मिला है।
- **गुप्त साम्राज्य (लगभग 320-550 ईसा पूर्व)**-गुप्त काल को अक्सर भारतीय कला और मंदिर वास्तुकला का "स्वर्ण युग" माना जाता है। इस युग में भव्य हिंदू और बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्त मंदिर आमतौर पर ईंट और पत्थर से बने होते थे और वास्तुकला की नागर शैली का पालन करते थे। मंदिरों को जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया था। प्रतिष्ठित उदाहरणों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर शामिल हैं।
- **गुप्तोत्तर काल (छठी से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व)**-गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, विभिन्न क्षेत्रीय राजवंश उभरे, जिससे विशिष्ट क्षेत्रीय मंदिर शैलियों का विकास हुआ। उत्तर भारत में नागर शैली का बोलबाला था। नागर शैली की विशेषता एक घुमावदार मीनार (शिखर) है और इसका उदाहरण खजुराहो का कंदरिया महादेव जैसे मंदिर हैं।
- **राजपूत और मध्यकालीन काल (8वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी)**-मध्यकाल में राजपूत साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी मंदिर वास्तुकला थी, विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में। जटिल नक्काशी के साथ मंदिर बनाए जाते रहे, लेकिन किलेबंदी और सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। राजपूत वास्तुकला ने क्षेत्रीय शैलियों को मध्य एशिया और फारस के प्रभावों के साथ मिश्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप संस्कृतियों का मिश्रण हुआ।
- **मुगल प्रभाव**-मुगल शासन के दौरान, इस्लामी वास्तुकला ने मंदिर निर्माण को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। कुछ उदाहरण इस्लामी और हिंदू वास्तुशिल्प तत्त्वों का संश्लेषण दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अकबरी वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी रूपांकनों का मिश्रण हुआ। हालाँकि, मुगल काल में भी कुछ मंदिरों का विनाश हुआ, जैसा कि वाराणसी में कुछ मंदिरों को तोड़े जाने का उल्लेख है।
- **ब्रिटिश औपनिवेशिक काल (18वीं से 20वीं सदी के मध्य तक)**-ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन के बाद भी पारंपरिक मंदिर वास्तुकला जारी रही, लेकिन यूरोप प्रेरित संरचनाओं में वृद्धि हुई। हस्तनिर्मित के बजाय मशीनरी के अधिक उपयोग से निर्मित इस काल के मंदिरों में पारंपरिक और औपनिवेशिक स्थापत्य शैली का मिश्रण दिखाई देता है।

इस प्रकार उत्तर भारत के मंदिरों ने क्षेत्र की संस्कृति, कला और धार्मिक प्रथाओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अपने पीछे वास्तुशिल्प चमत्कारों की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती रहती हैं।

अथवा

(ख) समाज और संस्कृति पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- रवीन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली भारतीय कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। वह 1861 से 1941 तक जीवित रहे और समाज व संस्कृति पर उनके विचार मानवतावाद, सार्वभौमिकता और विविधता के उत्सव में गहराई से निहित थे।

- **सार्वभौमिकता और मानवतावाद**-सार्वभौमिकता इस दर्शन को संदर्भित करती है कि सत्य, न्याय, ईमानदारी जैसे कुछ लक्षण सार्वभौमिक अनुप्रयोग होते हैं और इसलिए सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं, जबकि मानवतावाद इस विश्वास को संदर्भित करता है कि लोगों की आध्यात्मिक और भावनात्मक जरूरतों को भगवान या धर्म का पालन किए बिना संतुष्ट किया जा सकता है। टैगोर इन दोनों पर विश्वास करते थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की वकालत की जहां विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकें और एक-दूसरे को समझ सकें। उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद को खारिज कर दिया और कृत्रिम सीमाओं से परे व्यापक मानवीय पहचान के महत्त्व पर जोर दिया।
- **विविधता और बहुलता**-विविधता में विभिन्न नस्लों, लिंगों, जातियों और धर्मों के लोगों को एक समूह या गतिविधि में शामिल करना शामिल है। बहुलवाद इस विचार को संदर्भित करता है कि ऐसे कई मूल्य मौजूद हो सकते हैं जो प्रकृति में समान रूप से सही और मौलिक हो सकते हैं, भले ही वे एक-दूसरे के विपरीत हों या विरोधाभासी हों। टैगोर ने संस्कृतियों के भीतर विविधता की समृद्धि का जश्न मनाया। वह विभिन्न समुदायों के अनूठे रीति-रिवाजों, परंपराओं और भाषाओं को महत्त्व देते थे।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शान्ति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य-16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क (UNPAN) एक वैश्विक नेटवर्क है जो सतत विकास के लिए प्रभावी शासन और सार्वजनिक प्रशासन पर काम करने वाले प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों और दुनिया भर के विशेषज्ञों को जोड़ता है। यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 16 को प्राप्त करने का एक अनुरूप प्रयास है। सतत विकास लक्ष्य विश्व स्तर पर स्वीकृत 17 लक्ष्यों का एक सेट है जो इस धरती पर सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने का खाका है। 16वां लक्ष्य सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना और सभी को न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना है। इसे प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क (यूएनपीएएन) सबसे आगे कार्य करता है। इसे प्राप्त करने के लिए UNPAN द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में शामिल हैं-

- **शांति स्थापना और संघर्ष समाधान**-संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों का समर्थन करता है और विभिन्न क्षेत्रों में संघर्षों को हल करने के लिए काम करता है। शांति की बहाली, नागरिकों की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित क्षेत्रों में शांति मिशन तैनात किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन।
- **न्याय तक पहुंच**-संयुक्त राष्ट्र सभी व्यक्तियों के लिए न्याय तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसमें कानूनी संस्थानों को मजबूत करना, कानूनी सहायता कार्यक्रमों का समर्थन करना और कानून के शासन को बढ़ाना शामिल है।
- **भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय प्रवाह**-यूएनपीएएन भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने के प्रयासों का आह्वान करता है। इसमें पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए तंत्र बनाने की पहल शामिल है।
- **मजबूत संस्थान**-शासन के सभी स्तरों पर मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह संस्थानों के निर्माण पर जोर दिया गया है। इसमें सार्वजनिक प्रशासन के लिए क्षमता निर्माण, न्यायपालिका को मजबूत करना और उत्तरदायी और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
- **भागीदारी और मानवाधिकार**-सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि सभी आवाजों को सुना जाए और उनका सम्मान किया जाए। एसडीजी-16 का उद्देश्य व्यक्तियों को सशक्त बनाना और अभिव्यक्ति, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता सहित मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है।
- **डेटा और निगरानी**-एसडीजी-16 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निगरानी प्रगति महत्त्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र शांति, न्याय और शासन से संबंधित क्षेत्रों में विकास को ट्रैक करने के लिए डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार करने के लिए काम करता है।

"संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क" एक विशिष्ट इकाई है जो एसडीजी-16 के तहत इन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए उभरा है, और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच दुनिया भर में सार्वजनिक प्रशासन और शासन प्रणालियों को मजबूत करने के प्रयासों के समन्वय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(ग) बिहार के अधिकार-आधारित ई-सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए।

उत्तर- इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण या ईएसडी का तात्पर्य इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। सार्वजनिक सेवा की ई-डिलीवरी को बुनियादी मानव अधिकार मानने से न केवल सामुदायिक भागीदारी मजबूत होती है, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही, जनसंख्या को कुशल और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु ई-सेवा वितरण को अनिवार्य करने के लिए बुनियादी मानव अधिकार को एक अधिनियम पारित करके कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है।

- **2011 में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (BRTPS)**-बिहार में ई-सेवा वितरण में एक महत्त्वपूर्ण विकास 2011 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (BRTPS) का कार्यान्वयन था। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य समयबद्धता सुनिश्चित करना था यानी नागरिकों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी, साथ ही सेवाओं में किसी भी देरी या इनकार के लिए सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना। BRTPS के तहत, बिहार सरकार ने कई आवश्यक सेवाओं की पहचान की है जिन्हें नागरिकों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने का अधिकार है। इन सेवाओं में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र और भूमि और राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित विभिन्न अन्य दस्तावेज और सेवाएं शामिल हैं।
- **सार्वजनिक सेवा का अधिकार (BRTPS) पोर्टल**-यह एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे बिहार सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसे राज्य के नागरिकों को एक ही पोर्टल के तहत विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **ऑनलाइन आवेदन जमा करना**-नागरिक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहचानी गई सेवाओं के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों में भौतिक दौरे की आवश्यकता कम हो गई, जिससे आवेदकों के समय और प्रयास की बचत हुई। यह पोर्टल जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र (आवासीय प्रमाण-पत्र), चरित्र प्रमाण-पत्र और ओबीसी प्रमाण-पत्र, भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र (एलपीसी) आदि जारी करता है।

- **ट्रैकिंग और शिकायत निवारण**-ई-सेवा पोर्टल आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की भी अनुमति देता है। किसी भी देरी या समस्या के मामले में, नागरिक पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- **स्वचालित प्रसंस्करण**-पोर्टल की स्वचालित प्रणाली बिहार की अशिक्षित ग्रामीण आबादी को सेवाएं प्राप्त करने में मदद करती है जिससे मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश कम हो जाती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही**-ई-सेवा वितरण मंच का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। बिहार सरकार अब बिहार की आबादी के प्रति जवाबदेह लगती है।
- **अन्य विभागों के साथ एकीकरण**-ई-सेवा मंच चिन्हित सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न सरकारी विभागों के साथ एकीकृत है। इससे नागरिकों के लिए बोझिल प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक एकीकृत प्रणाली बनाने में मदद मिली।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक सेवा की ई-डिलीवरी को अधिकार आधारित दृष्टिकोण बनाने का बिहार सरकार का प्रयास गेम चेंजर साबित हो सकता है और आने वाले वर्षों में राज्य में समग्र आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में सुधार हो सकता है।

(घ) बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किये गये प्रयासों का वर्णन कीजिये।

उत्तर- सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके काम करती है। सौर ऊर्जा एक गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके अलावा यह एक स्वच्छ ऊर्जा का रूप है, इसलिए बिजली की मांग को पूरा करने के लिए दुनिया भर में सौर ऊर्जा संयंत्र बड़ी संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा का लक्ष्य पारंपरिक और प्रदूषण फैलाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को प्रतिस्थापित करना है। 2015 में, भारत और फ्रांस ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने की पहल की। इसके अलावा, Cop21, या पेरिस समझौते के तहत, देश अपने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिहार, कई अन्य भारतीय राज्यों की तरह, अपनी नवीकरणीय ऊर्जा पहल के हिस्से के रूप में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए कुछ प्रमुख प्रयास यहां दिए गए हैं-

- **सौर ऊर्जा नीति**-बिहार राज्य सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु एक सौर ऊर्जा नीति पेश की। नीति का उद्देश्य बड़े पैमाने और छोटे की सौर परियोजनाओं दोनों को विभिन्न सब्सिडी, कर लाभ और वित्तीय सहायता प्रदान करके सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
- **सौर पार्क**-बिहार सौर पार्क स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं हैं। ये पार्क सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, भूमि और ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे निजी कंपनियों और निवेशकों के लिए सौर संयंत्र स्थापित करना आसान हो जाता है। दरभंगा में, बिहार का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र आधिकारिक तौर पर खोला गया। राज्य का दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट सुपौल जिले में निर्माणाधीन है।
- **छत पर सौर स्थापना**-सरकार आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में छत पर सौर स्थापना अपनाने को प्रोत्साहित कर रही है। छतों पर सौर पैनलों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
- **सौर जल पंप**-बिहार सक्रिय रूप से कृषि के लिए सौर जल पंपिंग प्रणालियों को बढ़ावा दे रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की आपूर्ति अविश्वसनीय या अनुपलब्ध हो सकती है। ये सौर जल पंप किसानों को सिंचाई उद्देश्यों के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंचने में मदद करते हैं।
- **ग्रिड-कनेक्टेड सौर परियोजनाएं**-राज्य सौर ऊर्जा को बिजली ग्रिड में एकीकृत करने की दिशा में काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो राज्य की बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए उत्पन्न बिजली को ग्रिड में डाल सकते हैं।
- **सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम**-सरकार और विभिन्न संगठन लोगों को सौर ऊर्जा के लाभों के बारे में शिक्षित करने और सौर ऊर्जा प्रणालियों के रख-रखाव और संचालन के लिए स्थानीय क्षमता का निर्माण करने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी**-बिहार राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए निजी कंपनियों और निवेशकों के साथ साझेदारी तलाश रहा है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी सौर पहलों के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने में मदद करती है।

इस प्रकार स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के प्रयास सराहनीय हैं और उम्मीद है कि यह पर्यावरण की बेहतरी में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

(ङ) आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

उत्तर- नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने 'सात निश्चय' या '7 सूत्र' की अपनी मजबूत विकास अवधारणा लागू की है, जो न्यूनतम समय में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए लिये गए सात संकल्पों के अलावा और कुछ नहीं है।

सात निश्चय अथवा सात निश्चय योजना भाग-1 को 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किया गया था। 2020 में, सात निश्चय भाग-2 लागू किया गया। "सात निश्चय-2" पूर्व कार्यक्रम का अद्यतन संस्करण है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं -

- **युवा शक्ति, बिहार की प्रगति**-इस योजना के तहत उच्च शिक्षा, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संचार कौशल और व्यवहार प्रशिक्षण के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक आईटीआई और पॉलिटेक्निक में एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने की भी योजना है।
- **सशक्त महिला, सक्षम महिला**-महिलाओं में उद्यमशीलता कौशल बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना का प्रावधान है। इसे संभव बनाने के लिए महिलाओं को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। साथ ही, महिला उम्मीदवारों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को 25000/- रुपये और स्नातक उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को 50000/- रुपये का नकद पारितोषिक दिया जाएगा।
- **हर खेत तक पानी**-यह वादा किया गया है कि अगले पांच वर्षों में राज्य के हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सकेगी।
- **स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव**-यह सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गांवों में पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की योजना है ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही हर घर नल का जल योजना आगे बढ़ेगी।
- **स्वच्छ शहर विकसित शहर**-इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रयों का निर्माण, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत शवदाह गृह और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है।
- **कनेक्टिविटी होगी और आसान**-इसके तहत गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने और लोगों के आने-जाने की निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए बाईपास सड़कें और फ्लाईओवर बनाने की योजना है।
- **सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा**-इसके तहत गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और बेहतर पशु स्वास्थ्य देखभाल एवं प्रबंधन के लिए बुनियादी प्रणाली तैयार करने की योजना है। यह कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की मदद से डोरस्टेप सेवा का वादा करता है। इसके अलावा, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ उप-मंडल और जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से जोड़ सकता है। साथ ही मौजूदा अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार और विस्तार का भी आश्वासन दिया गया है।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि यद्यपि कार्यक्रम कागज पर अच्छा दिखता है, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन पूरी तरह से नौकरशाहों और राजनेताओं के गैर-पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि सरकार इसे समयबद्ध तरीके से लागू करने में सक्षम है, तो यह योजना निश्चित रूप से बिहार में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है।

अथवा

5. (क) भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या हैं ? आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं ? क्या आपको लगता है कि यह खेल-परिवर्तक साबित होगा ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिये।

उत्तर- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के तत्त्वावधान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। मसौदा विनियमों में महत्त्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय और कनेक्ट सेल की स्थापना करना।
- भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) और विदेशी HEIs के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, "यूजीसी (ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2022

मसौदा विनियमों की संभावनाएँ इस प्रकार हैं-

- **वैश्विक विशेषज्ञता तक पहुँच**-विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में परिसर स्थापित करना वैश्विक विशेषज्ञता, शिक्षण पद्धतियों और अनुसंधान में सहयोग प्रदान कर सकता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध कर सकता है और भारतीय छात्रों को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों से अवगत करा सकता है।
- **बेहतर शैक्षिक बुनियादी ढाँचा**-अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं के निर्माण में निवेश में वृद्धि। इससे अपर्याप्त शैक्षणिक बुनियादी ढांचे की समस्या का समाधान करने में मदद मिल सकती है जिसका सामना कई भारतीय विश्वविद्यालय करते हैं।
- **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा**-भारतीय और विदेशी संकाय सदस्यों के बीच सहयोग से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। विचारों और संसाधनों के आदान-प्रदान से अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है, जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

6. (क) क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन को अपनी स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्त्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के लिए विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुन: प्राप्त करना चाहिए ? क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिणी विश्व को आम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए।

उत्तर- ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी अथवा 20 राष्ट्रों के समूह (G-20) में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 1 दिसंबर, 2022 को, भारत ने इंडोनेशिया से पदभार ग्रहण करते हुए जी-20 फोरम की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत सितंबर 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के माध्यम से विकासशील दुनिया में नेतृत्व को पुन: प्राप्त करने और समान वैश्विक लक्ष्यों की खोज में दक्षिण को एकजुट करने में भारत की क्या भूमिका है इसे सिद्ध करने के लिए भारत को जी-20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा के माध्यम से विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुन: प्राप्त करना होगा जैसा कि भारत ने किया भी है -

- **नेतृत्व और जिम्मेदारी**-दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक के रूप में भारत की दक्षिणी विश्व के हितों का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने की नैतिक जिम्मेदारी है। जी-20 शिखर सम्मेलन एक ऐसा मंच प्रस्तुत करता है जहां भारत वैश्विक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकता है और विकासशील देशों के सामने आने वाली साझा चुनौतियों का समाधान करने वाली नीतियों को आकार देने में योगदान दे सकता है।
- **अनुभव और विशेषज्ञता**-भारत के पास विकास चुनौतियों और अनुभवों का एक लंबा इतिहास है जो कई अन्य विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकता है।
- **दक्षिणी विश्व में सहयोग को मजबूत करना**-जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके भारत दक्षिणी देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, विकासशील देशों को सामान्य हित, व्यापार और निवेश के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और वैश्विक मंचों पर अपनी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत कर सकता है।
- **समावेशिता को बढ़ावा देना**-जी-20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने में भारत की भागीदारी से वैश्विक निर्णय लेने में अधिक समावेशिता को बढ़ावा मिल सकता है। दक्षिणी विश्व के हितों का प्रतिनिधित्व करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय विकासशील देशों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए।
- **वैश्विक साझेदारी का निर्माण**-जी-20 शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक संचालित करने की भारत की महत्त्वाकांक्षा विकसित देशों के साथ मजबूत साझेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अन्य देशों के साथ सहयोग करते हुए अपनी स्वयं की विकास चुनौतियों का समाधान करके, भारत वैश्विक समस्या-समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकता है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकता है।

हालाँकि कुछ वास्तविक कठिनाइयाँ हैं जिनका भारत को दक्षिणी विश्व को एकजुट करने में सामना करना पड़ सकता है। वे इस प्रकार हैं -

- **विविध हित**-दक्षिण विश्व में विविध आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले देश शामिल हैं। उनके हितों और प्राथमिकताओं को संरेखित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब कुछ मुद्दे कुछ देशों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हों।
- **संसाधन की कमी**-दक्षिणी विश्व में कई विकासशील देश सीमित संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं और गरीबी, भूख और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी तत्काल चुनौतियों का सामना करते हैं। इन देशों को अपनी घरेलू चिंताओं पर वैश्विक मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए राजी करना मुश्किल हो सकता है।
- **भू-राजनीतिक जटिलताएँ**-दक्षिणी विश्व में अलग-अलग भू-राजनीतिक संरेखण और गठबंधन वाले देश शामिल हैं। भारत को ऐतिहासिक या राजनीतिक कारणों से कुछ देशों से प्रतिरोध या संदेह का सामना करना पड़ सकता है।
- **वैश्विक शक्ति गतिशीलता**-वैश्विक संस्थानों में विकसित देशों के प्रभुत्व के कारण वैश्विक दक्षिण को अक्सर अपनी सामूहिक आवाज उठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी विश्व को एकजुट करने के भारत के प्रयासों को स्थापित वैश्विक शक्तियों के विरोध या उदासीनता का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्षत: भारत के पास दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से विकासशील दुनिया में फिर से नेतृत्व हासिल करने की क्षमता है, लेकिन उसे समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दक्षिणी विश्व को एकजुट करने के लिए विभिन्न चुनौतियों से निपटना होगा। हालाँकि सफलता अन्य विकासशील देशों के हितों की प्रभावी ढंग से वकालत करने और दक्षिणी विश्व और विकसित दुनिया दोनों के साथ सार्थक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपनी स्थायी विकास चुनौतियों का समाधान करने की भारत की क्षमता पर निर्भर करेगी।

- **ब्रेन गेन और रिटेंशन**-वर्तमान में, कई भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं और अक्सर वहीं बस जाते हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन हो जाता है। भारत में प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय होने से, अधिक छात्र देश में रहना चुन सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान के लाभ का परिदृश्य तैयार हो सकता है।
- **प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में वृद्धि**-विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति भारत में शैक्षणिक संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है। यह प्रतियोगिता भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

यदि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से, यह एक नई रणनीति साबित होगा क्योंकि उपर्युक्त उद्देश्य भारत की शिक्षा, अनुसंधान, औद्योगिक कौशल, नवाचार, उद्यमशीलता क्षमता आदि को बढ़ावा देंगे। हालाँकि, इसमें कुछ अड़चनें भी हैं और कुछ ऐसी चिंताएँ भी, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है -

- **सामर्थ्य और पहुंच**-विदेशी विश्वविद्यालय अक्सर महँगे होते हैं, और भारत में उनकी उपस्थिति से ट्यूशन फीस में वृद्धि हो सकती है, जिससे कुछ छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दुर्गम हो जाएगी।
- **सांस्कृतिक और वैचारिक टकराव**-विदेशी शैक्षिक प्रणालियों और संस्कृतियों को भारतीय संदर्भ के साथ एकीकृत करने में चुनौतियाँ हो सकती हैं। यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम और मूल्य भारतीय संवेदनाओं के अनुरूप हों, एक जटिल कार्य हो सकता है।
- **नियामक अनुपालन**-भारतीय शिक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमों को लागू करना और विदेशी विश्वविद्यालयों की निगरानी करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती हो सकती है।
- **स्थानीय संस्थानों पर प्रभाव**-विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश संभावित रूप से स्थानीय संस्थानों पर भारी पड़ सकता है, खासकर यदि वे विभिन्न मोर्चों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं।

अथवा

(ख) आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। क्या आप समझते है कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगी ? तर्क दीजिए।

उत्तर- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए "बुनियादी संरचना" सिद्धांत पर सवाल उठाया। उपराष्ट्रपति जी के अनुसार, यह सिद्धांत मजबूत लोकतंत्र के लिए बुनियादी प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह न्यायिक अतिरेक की ओर ले जाता है जहां न्यायपालिका जो एक अनिर्वाचित निकाय है, विधायी निकाय जो एक निर्वाचित निकाय है, के निर्णय लेने में हस्तक्षेप करती है।

1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में बुनियादी संरचना के सिद्धांत के अनुसार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान की कुछ आवश्यक विशेषताएं संसद की संशोधन शक्ति से परे हैं, और कोई भी संशोधन जो इन आवश्यक विशेषताओं का उल्लंघन करता है, को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य संविधान के मूल सिद्धांतों और मौलिक प्रकृति को संरक्षित करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी सत्तारूढ़ दल संविधान को मनमाने ढंग से नहीं बदल सके।

हालाँकि इस सिद्धांत का उद्देश्य विधायी आधिपत्य से बचकर भारत के संवैधानिक ढांचे की स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखना था, तथापि, कई विधायी मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण यह सिद्धांत विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद की जड़ बन गया है, जहाँ न्यायपालिका इस हस्तक्षेप को न्यायिक सक्रियता कहती है, विधायिका उसे न्यायिक अतिरेक कहती है। हां, अगर समय रहते इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो निकट भविष्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव और बढ़ सकता है। कुछ उदाहरण, जो न्यायिक अतिरेक को दर्शाते हैं:

- भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने औपनिवेशिक युग के उस कानून को पलट दिया, जिसने समलैंगिक सम्बन्धों को अवैध घोषित कर दिया था और समलैंगिकता को वैध बना दिया।
- इसी तरह, न्यायपालिका ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन को भी ठुकरा दिया है।
- न्यायपालिका बार-बार अपने फैसले बदलती है जिससे मामलों को सुलझाने में बहुत समय लगता है।
- लंबित मुकदमों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। यदि इस मुद्दे को समय पर हल नहीं किया गया, तो इससे भारत में न्यायिक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, जैसा कि हाल ही में इज़राइल में किया गया है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हमेशा कुछ हद तक तनाव रहेगा क्योंकि वे दोनों अपनी शक्तियों और हितों की रक्षा करना चाहते हैं।

हालाँकि, किसी एक का आधिपत्य प्रबल नहीं होना चाहिए, विशेषकर एक अनिर्वाचित निकाय का। बल्कि जाँच और संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

अथवा

(ख) सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर- हाल ही में 6 फरवरी 2023 को तुर्किये-सीरिया सीमा पर 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। हजारों लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। मानवीय संकटों में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहियों और जिम्मेदारियों में शामिल हैं-

- **अंतर्राष्ट्रीय सहायता का समन्वय**-संयुक्त राष्ट्र अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रयासों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह एक मंच के रूप में कार्य करता है जहां विभिन्न देश, संगठन और एजेंसियां जानकारी, संसाधन और विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। यह समन्वय सुनिश्चित करता है कि प्रदान की गई सहायता कुशल है, दोहराव से बचती है और जरूरतमंद लोगों तक तुरंत पहुंचती है। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्किये में 5.2 मिलियन लोगों को जीवन-रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए $1 बिलियन की त्वरित अपील शुरू की।
- **मानवीय सहायता**-संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, जैसे मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA), यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), प्रभावित आबादी को आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान कर सकती हैं। इसमें अन्य आवश्यकताओं के अलावा भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय, चिकित्सा आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया और तुर्किये भूकंप आपदा में प्रतिक्रिया तेज करने के लिए अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से 50 मिलियन डॉलर जारी किए हैं।
- **तकनीकी विशेषज्ञता और मूल्यांकन**-संयुक्त राष्ट्र तकनीकी विशेषज्ञों को तैनात कर सकता है और आपदा के प्रभाव के पैमाने का आकलन कर सकता है ताकि सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और तदनुसार अपनी प्रतिक्रिया की योजना बनाने में मदद मिल सके।
- **क्षमता निर्माण**-संयुक्त राष्ट्र स्थानीय अधिकारियों और समुदायों के साथ मिलकर आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण कर सकता है। इसमें आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
- **हिमायत और जागरूकता**-संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और वित्त पोषण बढ़ाने, प्रभावित आबादी की जरूरतों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की वकालत कर सकता है।

खंड-III

7. निम्नलिखित सारिणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं इस सारिणी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये-
पांच विषयों में छात्रों द्वारा 2012 से 2017 के दौरान प्राप्त उच्चतम और औसत अंक।
प्रत्येक विषय में सर्वाधिक अंक 100 हैं-

Year	Subject									
	English		Hindi		Mathematics		Science		History	
	Highest	Average	Highest	Average	Highest	Average	Highest	Average	Highest	Average
2012	85	65	80	60	75	60	76	50	80	50
2013	80	60	75	63	75	55	55	35	85	70
2014	83	62	80	60	75	50	50	30	82	60
2015	70	55	75	50	85	65	85	55	80	60
2016	72	50	70	50	80	55	90	60	90	65
2017	75	60	80	60	85	70	70	40	70	55

(क) सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या हैं ?

(ख) 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि है ?

(ग) किस वर्ष में गणित के लिए उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक में अंतर सर्वाधिक रहा ?

(घ) 2013 में हिन्दी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, 2016 में गणित में उच्चतम अंक का कितना प्रतिशत है ?

(ङ) यदि 2013 में गणित में 50 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी तो उनके अंकों का कुल योग कितना था ?

(च) किन दो वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंक का अंतर सर्वाधिक रहा ?

उत्तर- (क) वर्ष 2015 में सभी पांच विषयों के संयुक्त औसत अंक हैं-

$= \frac{\text{वर्ष 2015 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और इतिहास के औसत अंकों का योग}}{5}$

$= \frac{(55+50+65+55+60)}{5} = \frac{258}{5} = 57$

(ख) 2015 से 2017 तक अंग्रेजी के औसत अंकों में प्रतिशत वृद्धि

$= 100 \times \frac{\text{अंग्रेजी के लिए 2017 में औसत अंक} - \text{2015 में अंग्रेजी के लिए औसत अंक}}{\text{अंग्रेजी के लिए 2015 में औसत अंक}}$

$= \frac{[60-55]}{55 \times 100} = \frac{5}{55 \times 100} = \frac{100}{11} = 9.09\%$

(ग) 2012 से 2017 तक संबंधित वर्षों में गणित में उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक के बीच अंतर है-

2012 में $\rightarrow 75 - 60 = 15$, 2013 में $\rightarrow 75 - 55 = 20$

2014 में $\rightarrow 75 - 50 = 25$, 2015 में $\rightarrow 85 - 65 = 20$

2016 में $\rightarrow 80 - 55 = 25$, 2017 में $\rightarrow 85 - 70 = 15$

इस प्रकार वर्ष 2014 और 2016 में अधिकतम अंतर यानी अंकों का अंतर 25

(घ) 2016 में गणित के औसत अंकों के संबंध में 2013 में हिंदी में उच्चतम अंकों का प्रतिशत

$= \frac{\text{2013 में हिंदी में सर्वाधिक अंक}}{\text{गणित में औसत अंक}} \times 100 = \frac{75}{55} \times 100$

$= \frac{1500}{11} \times 100$

$= 136.36\%$

(ङ) वर्ष 2013 में गणित में औसत अंक × 50

$= 55 \times 50 = 2750$

(च) वर्ष 2016 के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों के बीच अंतर यानी उच्चतम विज्ञान अंक वाले वर्ष और साल 2014 यानी सबसे कम विज्ञान अंक वाला साल अर्थात - [90 - 50 = 40]

वर्ष 2014 और 2016

अथवा

निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

वर्ष 2001-2006 की अवधि के दौरान कंपनियों ABC और DEF द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ

प्रतिशत लाभ $= \frac{\text{आय - व्यय}}{\text{व्यय}} \times 100$

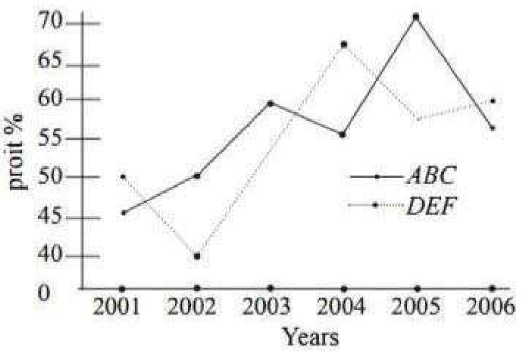

(क) मान लें 2005 में दो कंपनियों ABC और DEF की आय क्रमशः 3 : 4 के अनुपात में थी। 2005 में (कंपनियों ABC और DEF) के व्यय का अनुपात क्या था ?

(ख) अगर 2002 में कंपनी DEF का खर्चा 190 करोड़ रुपये था, इसकी आय 2002 में क्या थी ?

(ग) यदि 2001 में कंपनी ABC और DEF का व्यय बराबर था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 825 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था ?

(घ) 2004 में कंपनी ABC की आय 750 करोड़ थी। वर्ष 2004 में इसका खर्च क्या था ?

(ङ) यदि 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, तो 2003 में कंपनी ABC और DEF के व्यय का अनुपात क्या था ?

उत्तर- (क) $\text{लाभ\%} = \frac{\text{आय} - \text{व्यय}}{\text{व्यय}} \times 100$

साल 2005 में

ABC का लाभ % = 70 %

DEF का लाभ % = 55 %

वर्ष 2005 में ABC की आय = 3x (प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के अनुसार)

वर्ष 2005 में DEF की आय = 4x (प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के अनुसार)

$$\therefore \quad \frac{70}{100} = \frac{3x - E_{ABC}}{E_{ABC}} \quad ...(i)$$

$$\Rightarrow 70\ E_{ABC} = (3x - E_{ABC}) \times 100$$

$$E_{ABC} = \frac{30x}{17}$$

$$\frac{55}{100} = \frac{4x - E_{DEF}}{E_{DEF}} \quad ..(ii)$$

$$E_{DEF} = \frac{80x}{31}$$

$\therefore$ वर्ष 2005 में E_{ABC} एवं E_{DEF} का अनुपात है:-

$$= \frac{E_{ABC}}{E_{ABC}} = \frac{31x \times 31}{17 \times 80x} \times \frac{3x}{71} \times 56$$

$$= \frac{42}{71} \text{ या } 42 : 71 = \frac{93}{136}$$

= – 93 : 136

(ख) वर्ष 2002 में DEF का व्यय = 190 करोड़ (जैसा कि प्रश्न में दिया गया है)

वर्ष 2002 में कंपनी DEF की आय ?

कंपनी के लिए वर्ष 2002 में % लाभ (DEF) = 40%

हम जानते हैं

$$\text{लाभ\%} = \frac{\text{आय} - \text{व्यय}}{\text{व्यय}} \times 100$$

$$\frac{40}{100} = \frac{\text{आय}_{(DEF)} - \text{व्यय}_{(DEF)}}{\text{व्यय}} \times 100$$

$$\frac{7600}{100} = \text{आय}_{(DEF)} - 190$$

आय = 7600 – 190

वर्ष 2002 में $आय_{(DEF)}$ = 266 करोड़

(ग) ABC का व्यय = वर्ष 2001 में DEF का व्यय (प्रश्न में दिया गया है)

वर्ष 2001 में ABC की आय + DEF की आय = 825 करोड़ (प्रश्न में दिया गया है)

वर्ष 2001 में ABC + DEF का कुल लाभ = ?

$$लाभ\% = \frac{आय - व्यय}{व्यय} \times 100$$

$$ABC \text{ का लाभ } \% = \frac{आय_{(ABC)} - व्यय_{(ABC)}}{व्यय} \times 100$$

$$\frac{45}{100} = \frac{आय_{(ABC)}}{व्यय_{(ABC)}}$$

$$\frac{9}{20} = \frac{आय_{(ABC)}}{व्यय_{(ABC)}}$$

$$\frac{29}{20} = \frac{आय_{(ABC)}}{व्यय_{(ABC)}} \quad ....(i)$$

$$\text{इसी प्रकार, } DEF \text{ का लाभ } \% = \frac{आय_{(DEF)} - व्यय_{(DEF)}}{व्यय_{(DEF)}} \times 100$$

$$\frac{50}{100} = \frac{आय_{(DEF)}}{व्यय_{(DEF)}}$$

$$\frac{3}{2} = \frac{आय_{(DEF)}}{व्यय_{(DEF)}}. \quad ...(ii)$$

प्रश्न के अनुसार $व्यय_{(DEF)}$ = वर्ष 2001 का $व्यय_{(ABC)}$

(i) और (ii) को बराबर करने पर हमें प्राप्त होता है–

$$\frac{20}{29} आय_{ABC} = \frac{2}{3} आय_{DEF}$$

$$= \frac{आय_{DEF}}{व्यय_{DEF}} = \frac{2 \times 29}{20 \times 3} \times \frac{29}{30}$$

वर्ष 2001 में ABC और DEF की कुल आय = 825 करोड़

$$DEF \text{ की आय (वर्ष 2001 में)} = \frac{29}{(29+30)} \times 825 = \frac{29}{59} \times 825 = 405.50 \text{ करोड़} \quad ....(iii)$$

$$DEF \text{ की आय (वर्ष 2001 में)} = \frac{29}{(29+30)} \times 825$$

$$= \frac{29}{59} \times 825$$

$$= 405.50 \text{ करोड़} \quad ....(iv)$$

(i) के स्थान पर (iii) और (ii) के स्थान पर (iv) स्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है–

$$व्यय_{ABC} = \frac{20}{29} \times आय_{ABC} = \frac{20}{29} \times 405.50 = 279.65 \text{ करोड़}$$

$$व्यय_{(DEF)} = \frac{2}{3} \times आय_{(DEF)} = \frac{2}{3} \times 419.50 = 279.65 \text{ करोड़}$$

ABC का लाभ = 405.50 – 279.65 = 125.85 करोड़

8. नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार दो वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की छह शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री (हजार संख्या में) दर्शाता है।

2000 और 2001 में एक प्रकाशन कंपनी की छह शाखाएँ - B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 और B_6 से पुस्तकों की बिक्री (हजार संख्या में) निम्नलिखित हैं -

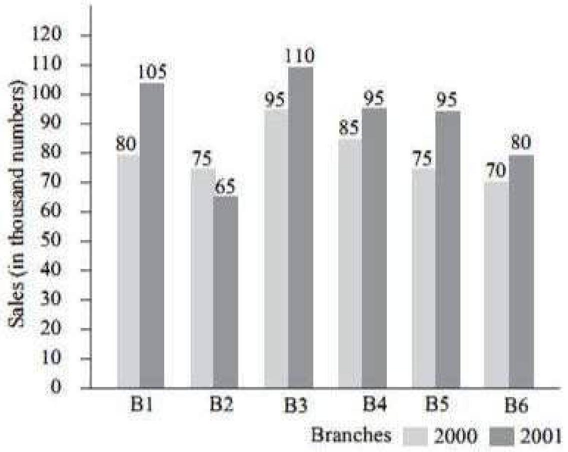

(क) दोनों वर्षों के लिए शाखा B_2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B_4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है ?

(ख) दोनों वर्षों के लिए शाखा B_6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा B_3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है ?

(ग) 2001 में शाखाओं B_1, B_2 और B_3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में शाखाओं B_1, B_3 और B_6 की औसत बिक्री है ?

(घ) वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री (हजार संख्या में) कितनी है ?

(ङ) दोनों वर्षों में शाखाओं B_1, B_3 और B_5 की कुल बिक्री (हजार संख्या में) कितनी है ?

उत्तर- (क) वर्ष 2000 और 2001 के लिए शाखा B_2 की कुल बिक्री है

= [75 + 65] हजार

= 140000

वर्ष 2000 और 2001 के लिए शाखा B_4 की कुल बिक्री है

= [85 + 95] हजार

= 180000 या 180 हजार

∴ वर्ष 2000 और 2001 के लिए शाखा B_2 का शाखा B_4 की कुल बिक्री से अनुपात है

$= \frac{140000}{180000} = \frac{7}{9}$ या 7 : 9

(ख) वर्ष 2000 और 2001 के लिए शाखा B_6 की कुल बिक्री [70 + 80] हजार है = 15000

वर्ष 2000 और 2001 के लिए शाखा B_3 की कुल बिक्री [95 + 110] हजार = 205000

∴ $\text{आवश्यक \%} = \frac{\text{शाखा } B_6 \text{ की कुल बिक्री}}{\text{शाखा } B_3 \text{ की कुल बिक्री}} \times 100$

$= \frac{150000}{205000} \times 100$

$= \frac{30}{41} \times 100 = 73.170\%$

(ग) वर्ष 2001 में शाखाओं B_1, B_2 और B_3 की औसत बिक्री

$= \frac{(105 + 65 + 110)}{3} = \frac{280}{3}$

वर्ष 2000 में शाखाओं B_1, B_2 और B_3 की औसत बिक्री

DEF का लाभ = 419.50 – 279.65 = 139.85 करोड़

वर्ष 2001 में ABC और DEF का कुल लाभ = 265.70 करोड़

(घ) वर्ष 2004 में ABC का व्यय = 55%

$\therefore$ लाभ % = $\frac{\text{आय - व्यय}}{\text{व्यय}} \times 100$

$= \frac{55}{100} = \frac{750 - \text{व्यय}}{\text{व्यय}} = \frac{11}{20} = \frac{750}{\text{व्यय}} - 1$

$= \frac{31}{20} = \frac{750}{\text{व्यय}} = \text{व्यय}_{(ABC)} = \frac{750 \times 20}{31}$

= 483.87 करोड़ रुपए

(ङ) वर्ष 2003 में ABC का लाभ % = 60%

वर्ष 2003 में DEF का लाभ % = 55%

$\therefore$ हमारे पास है–

लाभ % = $\frac{\text{आय - व्यय}}{\text{व्यय}} \times 100$

$60 = \frac{\text{आय}_{ABC} - \text{व्यय}_{ABC}}{\text{व्यय}_{ABC}} \times 100$

$\frac{60}{100} = \frac{\text{आय - व्यय}}{\text{व्यय}} - 1$

$\frac{3}{5} + 1 = \frac{\text{आय}_{(ABC)}}{\text{व्यय}_{(ABC)}}$

$\frac{8}{5} = \frac{\text{आय}_{(ABC)}}{\text{व्यय}_{(ABC)}}$ ....(i)

इसी प्रकार, कंपनी DEF के लिए हमारे पास है–

$\frac{55}{100} = \frac{\text{आय}_{(DEF)}}{\text{व्यय}_{(DEF)}} - 1$

$= \frac{11}{20} + 1 = \frac{\text{आय}_{(DEF)}}{\text{व्यय}_{(DEF)}}$

$= \frac{\text{आय}_{(DEF)}}{\text{व्यय}_{(DEF)}} = \frac{31}{20}$ ....(ii)

अब, (ii) को (i) से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है–

$\frac{\text{आय}_{(DEF)}}{\text{व्यय}_{(DEF)}} \times \frac{\text{आय}_{(ABC)}}{\text{व्यय}_{(ABC)}}$

$= \frac{31}{20} \times \frac{5}{8}$

[वर्ष 2003 में दी गई $\text{आय}_{(DEF)} = \text{आय}_{(ABC)}$]

इस प्रकार, $\frac{\text{व्यय}_{(ABC)}}{\text{व्यय}_{(DEF)}} = \frac{31}{32}$ या 1 : 32

$= \frac{(80 + 95 + 70)}{3} = \frac{245}{3}$

= आवश्यक प्रतिशत

$= \frac{\text{वर्ष 2001 में शाखाओं } B_1, B_2 \text{ और } B_3 \text{ की औसत बिक्री}}{\text{वर्ष 2000 में शाखाओं } B_1, B_2 \text{ और } B_3 \text{ की औसत बिक्री}} \times 100$

$= \frac{245 \times 3}{3 \times 280} \times 100$

$= \frac{7}{8} \times 100 = 87.5\%$

(घ) वर्ष 2000 के लिए B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 और B_6 की औसत बिक्री

$= \frac{80 + 75 + 95 + 85 + 75 + 70}{6} \times 1000$

$= \frac{480}{6} \times 1000 = 80000$ या 80 हजार

(ङ) दोनों वर्षों यानी 2000 और 2001 के लिए शाखा B_1, B_3 और B_5 की कुल बिक्री है

= [80 + 105 + 95 + 110 + 75 + 95] हजार

= 560000 या 560 हजार

अथवा

नीचे दिया गया वृत-ग्राफ 2015 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्ष के तहत कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। वृत-ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण

infr = इन्फ्रास्ट्रक्चर

tra = परिवहन

Adv = विज्ञापन

Tax = कर

R & D = अनुसंधान और विकास

Sal = वेतन

Int = ऋण पर ब्याज

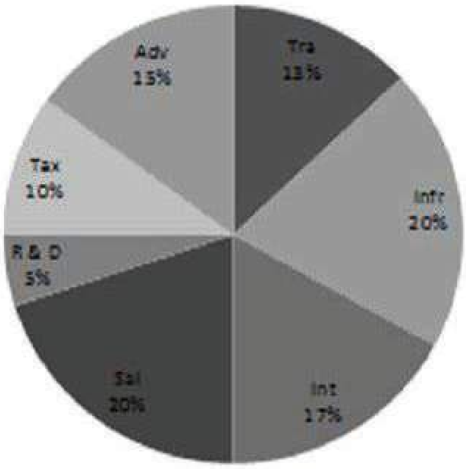

(क) कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय से कितनी गुनी है ?

(ख) यदि परिवहन पर व्यय ₹ 2 करोड़ है, तो पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच क्या अंतर है ?

(ग) करों एवं ऋण पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन पर कुल खर्च का क्या अनुपात है ?

(घ) अगर ऋण पर ब्याज ₹ 2.60 करोड़ है, तो विज्ञापन, करों और पगार पर व्यय की कुल राशि क्या होगी ?

(ङ) ऋण पर ब्याज पर खर्च और विज्ञापन पर व्यय के बीच का अंतर विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है ?

उत्तर- (क) कंपनी का कुल व्यय = (20 + 17 + 20 + 5 + 10 + 15 + 13)
= (20 + 30 + 50) = 100

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय = 5%

$\therefore$ $\dfrac{\text{कुल व्यय}}{\text{अनुसंधान एवं विकास पर व्यय}} = \dfrac{100}{6}$

= कुल व्यय = 20 × R & D पर व्यय

= 20 गुना

(ख) परिवहन पर व्यय = 13%

साथ ही, परिवहन पर व्यय = 2 करोड़ (दिया गया है)

$\therefore$ कुल व्यय का 13% = 2 करोड़

= कुल व्यय = $\dfrac{2 \times 100}{13}$ करोड़

वेतन पर व्यय = 20%

विज्ञापन पर व्यय = 15%

वेतन पर व्यय और विज्ञापन पर व्यय के बीच अंतर = (20 – 15) = 5%

$\therefore$ $\dfrac{200}{13}$ करोड़ का 5%

= $\dfrac{5 \times 200}{13 \times 100}$ करोड़ = $\dfrac{10}{13}$ करोड़

= 0.769 करोड़

(ग) ऋणों पर करों एवं ब्याज का कुल व्यय = 10 + 17 = 27%

संरचनात्मक ढांचे और परिवहन पर कुल व्यय = 20 + 13 = 33%

$\therefore$ आवश्यक अनुपात = $\dfrac{\text{कर एवं ब्याज का कुल व्यय}}{\text{बुनियादी ढांचे और परिवहन पर कुल व्यय}}$

= $\dfrac{27}{33} = \dfrac{9}{11}$ या 9 : 11

(घ) ऋण पर ब्याज पर व्यय = 2.6 करोड़ (दिया गया है)

ऋण पर ब्याज पर व्यय = 17% (दिया गया है)

$\therefore$ कुल व्यय का 17% = 2.6

विज्ञापन, कर और वेतन पर कुल व्यय = [15 + 10 + 20] = 45%

$\therefore$ कुल व्यय का 45% = $\dfrac{45 \times 2.6 \times 100}{17 \times 100}$

= 6.88 करोड़

(ङ) ऋण पर ब्याज और विज्ञापन पर व्यय का अंतर = (17 – 15) = 2%

विज्ञापन पर व्यय = 15%

$\therefore$ $\dfrac{\text{विज्ञापन पर व्यय}}{\text{ऋण पर ब्याज पर व्यय का अंतर एवं विज्ञापन पर व्यय}} = \dfrac{15}{2}$

विज्ञापन पर व्यय = 7.5 गुना

(ऋण पर ब्याज और विज्ञापन पर व्यय का अंतर)

या ऋण पर ब्याज और विज्ञापन पर व्यय का अंतर = विज्ञापन पर $\dfrac{1}{7.5}$ गुना खर्च

= विज्ञापन पर 0.1333 गुना खर्च

= 0.1333 गुना

❑❑❑

BPSC
बिहार लोक सेवा आयोग
68वीं (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन
सॉल्व्ड पेपर II-2023

निर्धारित समय : 3 घंटे | **पूर्णांक : 300**

अनुदेश–

- उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं।
- खंड-I एवं खंड-II प्रत्येक में से तीन-तीन प्रश्न तथा खंड-III से दो प्रश्नों का चयन करते हुए कुल आठ प्रश्नों के उत्तर दें।
- परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
- सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है, तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा।
- एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएँ तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर ना लिखे जाएँ।

पेपर-II : सामान्य अध्ययन

खंड-I

1. **निम्नलिखित के लघु उत्तर लिखिए-**

(क) भारत में गत्यात्मक धर्म-निरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिये।

उत्तर- भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का कोई राजकीय धर्म या आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में मौजूद नहीं था हालांकि, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम की शुरुआत के साथ, धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इतना ही नहीं, संविधान न केवल व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बल्कि धार्मिक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार भी प्रदान करता है। भारत में गतिशील धर्मनिरपेक्षता के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू हैं-

- **संवैधानिक ढांचा**-भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और राज्य से सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि कुछ राज्य और राष्ट्रीय दलों द्वारा की गई तुष्टीकरण की राजनीति के कारण धार्मिक स्वतंत्रता का कार्यान्वयन कई बार असंगत हो जाता है, जिससे कुछ धार्मिक समुदायों के खिलाफ पक्षपात या भेदभाव की संभावना बनी रहती है।
- **धार्मिक तनाव**-भारत की विविधता के कारण कभी-कभी धार्मिक तनाव और संघर्ष भी होते हैं। कई बार हिंदू-मुस्लिम झड़पें हुई हैं, खासकर त्योहारों के दौरान। ऐसा मुख्य रूप से अफवाहों और सुरक्षा में बाधाओं के कारण होता है। ऐसे संघर्षों पर राज्य की प्रतिक्रिया हमेशा निष्पक्ष नहीं रहती है, कुछ राजनीतिक दलों पर चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करने का आरोप भी लगाया गया है।
- **सांप्रदायिक राजनीति**-कई राज्य और राष्ट्रीय दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, मुफ्त और अनुचित लाभ के माध्यम से विशेष समुदायों को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को नष्ट किया है और एक विभाजनकारी समाज को जन्म दिया है।

- **राज्य का हस्तक्षेप**-आम तौर पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, हालांकि, चुनावों में धर्म आधारित राजनीति की अपनी भूमिका होती है। इसलिए, राज्य ने समय-समय पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया है, जैसे कि पूजा स्थलों को नियंत्रित करना या धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करना, जो धर्म और राज्य को अलग करने के सिद्धांत का खंडन करता है।
- **व्यक्तिगत कानून**-भारत विभिन्न धार्मिक समुदायों को विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित अपने व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की अनुमति देता है। हालाँकि, इससे लैंगिक असमानता जैसे कई आधारों पर भेदभाव को बढ़ावा मिला है।
- **शिक्षा प्रणाली**-भारत में शिक्षा प्रणाली चिंता का एक अन्य क्षेत्र है। सरकारें आम तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहती हैं, हालांकि, मदरसों जैसे कुछ संस्थान धार्मिक शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे सामान्य विषयों की उपेक्षा होती है।
- **भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता**-भारतीय संविधान धर्मों को मानने और उनका पालन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, विभिन्न धर्मों के तहत अलग-अलग प्रावधानों के कारण लोगों के बीच भेदभाव पैदा हुआ है। इसका मुकाबला करने के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता है। संहिता का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान कानूनी ढांचा लागू करना है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार सहित सभी मामलों के लिए सामान्य कानून बनाना और उसका पालन करना है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यद्यपि देश में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए संविधान के धर्मनिरपेक्ष तत्वों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देश में समान नागरिक संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन का अध्ययन करना भी आवश्यक है।

(ख) भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। व्याख्या कीजिये।

उत्तर- क्षेत्र एक समरूपी इलाका होता है जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पड़ोसी क्षेत्रों से भिन्न होती हैं। परंपरागत रूप से क्षेत्र शब्द का उपयोग पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका, उत्तरी इलाका या दक्षिणी इलाका के लिए किया जा सकता है। भारत में राज्य भी अलग-अलग क्षेत्र बनाते हैं जैसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, कश्मीर क्षेत्र आदि।

क्षेत्रवाद को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें लोगों की राजनीतिक वफादारी एक क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है।

भारत में क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव-

- **पहचान और संस्कृति**-भारत में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और भाषाएँ हैं। राजनीतिक दल अकसर खुद को इन क्षेत्रीय पहचानों के साथ जोड़ते हैं और स्थानीय संस्कृतियों एवं भाषाओं के संरक्षण और प्रचार की वकालत करते हैं। यह भावना मतदान पैटर्न और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसका 100 वर्षों से अधिक समय से इंतजार था, निश्चित रूप से स्थानीय लोगों की भावनाओं को प्रभावित करेगा और चुनावों में सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेगा जिसने इस निर्माण को संभव बनाया। इसी तरह, अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए बंगाल क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के प्रति की गई तुष्टीकरण की राजनीति चुनाव के दौरान क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल को फिर से फायदा पहुंचाएगी।
- **राज्य सरकारें और संघीय संरचना**-भारत की संघीय संरचना राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता और अधिकार प्रदान करती है। राज्य सरकारों के पास अपनी विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ हैं, जो उन्हें क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने और अपने संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को लागू करने की अनुमति देती हैं। राज्यसभा, जो संसद का एक हिस्सा है, में विभिन्न राज्यों के सदस्य शामिल होते हैं ऐसे में, क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव से राज्यसभा में पार्टियों की गिनती बदल जाती है, जो यह सामान्य और संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में संघ की निर्णय लेने की शक्तियों को प्रभावित करता है।
- **क्षेत्रीय दल**-भारत के कई राज्यों या क्षेत्रों में विशिष्ट राजनीतिक दल हैं, जिनका क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव है और अकसर राज्य चुनावों में ये प्रमुख खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय संसद में, केंद्र सरकार की नीतियों में अपनी बात रखने के लिए वे बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हालिया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) भारत में 26 राजनीतिक दलों का एक बड़ा छतरीनुमा राजनीतिक गठबंधन है।
- **आर्थिक विकास**-क्षेत्रीय राजनीति यह निर्धारित करने में विशेष भूमिका निभाती है कि विभिन्न राज्यों में संसाधनों और विकास परियोजनाओं को कैसे आवंटित किया जाता है। राज्य अकसर अपनी आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के धन और परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के विभिन्न स्तर प्राप्त होते हैं।
- **केंद्र-राज्य संबंध**-केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के वितरण, नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक मामलों जैसे विभिन्न मुद्दों पर विवाद और असहमति उत्पन्न हो सकती है, जो देश के समग्र राजनीतिक परिदृश्य और शासन को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए,

- **श्रमिकों के अधिकार**-संविधान में श्रमिकों के अधिकारों, उचित वेतन सुनिश्चित करने, उचित कामकाजी परिस्थितियों और ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और अधिक न्यायसंगत आर्थिक वातावरण बनाना है। इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार चार श्रम संहिताएँ लेकर आई, वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियां संहिता, 2020
- **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम**-भारत सरकार हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी चलाती है। इन कार्यक्रमों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाएँ शामिल हैं।

ये केवल कुछ उदाहरण हैं कि कैसे भारत के संविधान का लक्ष्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का चरित्र स्थापित करना है। यह एक समावेशी समाज बनाने का प्रयास करता है जहां सभी नागरिक समान अवसरों तक पहुंच सकें और अपनी पृष्ठभूमि या स्थिति की परवाह किए बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण का आनंद ले सकें।

(घ) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- न्यायिक समीक्षा या तो स्वत:संज्ञान या जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की देश में विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की जांच करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के साथ पढ़ा जाने वाला अनुच्छेद 13 उच्च न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। यदि न्यायालय को लगता है कि विधायिका द्वारा बनाया गया या कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित कोई भी कानून अधिकारातीत है तो न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत कानून को अमान्य घोषित कर सकता है या कार्यान्वित कर सकता है।

हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान -

- **अनुच्छेद 32**-यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जिससे किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह रिट याचिका दायर कर सकता है। तब सर्वोच्च न्यायालय संबंधित कानून, कार्यवाही या निर्णय की समीक्षा कर सकता है और यदि उसे असंवैधानिक या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसे रद्द कर सकता है।
- **अनुच्छेद 136**-इस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों की सुनवाई और समीक्षा करना चुन सकता है जो उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार विभिन्न मामलों तक फैला हुआ है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- **विधान की समीक्षा**-न्यायपालिका संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं।
- **कार्यकारी कार्यवाहियों की समीक्षा**-अदालत सरकार की कार्यकारी शाखा द्वारा लिए गए कार्यों और निर्णयों की जांच कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान और कानून की सीमा के भीतर हैं।
- **मौलिक अधिकारों का संरक्षण**-सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की समीक्षा कर सकता है और पीड़ित पक्षों को उचित उपचार प्रदान कर सकता है।
- **राज्यों और संघ के बीच विवाद**-न्यायालय विभिन्न राज्यों के बीच या राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों को सुलझा सकता है।

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसकी मूल संरचना का एक हिस्सा है, जैसा कि विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा स्थापित किया गया है। न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य विधायी और कार्यकारी निकायों पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना था। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, न्यायालय ने स्वयं अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया है जिससे विधायी निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को रद्द करने और समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के अदालत के फैसले ने न्यायिक सक्रियता के बजाय न्यायिक अतिरेक के लक्षण दिखाए हैं।

(ङ) बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। उदाहरण दीजिए।

उत्तर- एक समय था जब बिहार चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कौटिल्य जैसे महान राजनेताओं और प्रशासकों की भूमि थी, हालांकि, 20वीं शताब्दी में, राज्य को आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता था। यह स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य में प्रतिभा, संसाधन और क्षमता कम है, बल्कि यह तो शासन के कमजोर स्वरूप के कारण है। बिहार की राजनीति अत्यधिक जाति प्रधान है। चूँकि ग्रामीण आबादी लगभग 90% है और राज्य में साक्षरता का स्तर देश में सबसे कम है, इसलिए राजनेताओं, पुलिस और नौकरशाहों के लिए स्थानीय लोगों को झांसा देना और डराना आसान हो जाता है, जिससे भ्रष्टाचार

बिहार में सत्तारूढ़ दल ने केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की, लेकिन जब मांग को अस्वीकार कर दिया गया, तो पार्टी ने केंद्रीय सत्तारूढ़ दल से गठबंधन तोड़ लिया और एक अलग गठबंधन के तहत नई सरकार बनाई।

- **क्षेत्रीय आकांक्षाएं और मांगें**-विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आकांक्षाएं और मांगें हो सकती हैं, जैसे राज्य का दर्जा, विशेष दर्जा या अलग प्रशासनिक इकाइयों की मांग। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अकसर इन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने और उनकी पूर्ति की वकालत करने के लिए उभरते हैं। हमने इसी आधार पर तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड जैसे कई नए राज्य बनते देखे हैं।
- **मतदाता का व्यवहार**-क्षेत्रीय मुद्दे, नेता और पार्टियाँ मतदाता व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। लोग अकसर क्षेत्रीय विचारों और स्थानीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की पार्टियों या नेताओं की कथित क्षमता के आधार पर वोट देते हैं। दक्षिणी राज्यों में इसका असर साफ़ देखा जा सकता है। दक्षिणी भारत की संस्कृति, मांग, जरूरत, जीवनशैली उत्तरी भारत की तुलना में बहुत अलग है। इसलिए दक्षिण भारत के लोग केंद्र पर हावी पार्टियों के बजाय स्थानीय राजनीतिक दलों को पसंद करते हैं।
- **गठबंधन की राजनीति**-भारत में, चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव पश्चात गठबंधन दोनों का प्रावधान है। 2014 से पहले भारत में बनने वाली अधिकांश सरकारें गठबंधन प्रकृति की होती थीं। हालाँकि, पिछले 10 वर्षों में स्पष्ट जनादेश के माध्यम से भाजपा के प्रभुत्व के साथ, संख्या का खेल बदल गया है। हालाँकि, अभी भी राज्य चुनावों में चुनाव पूर्व और पश्चात गठबंधन के कई मामले सामने आए हैं, जहां स्थानीय पार्टियों के प्रभुत्व के कारण स्पष्ट जनादेश मिलना मुश्किल है।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मूलभूत पहलू है और देश में राजनीतिक स्थिरता और प्रगति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं और हितों को समझना और समायोजित करना आवश्यक है।

(ग) भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में हैं। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर- हमारे पास शासन के कई तरीके हैं जिनमें से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र एक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी प्रणाली है जो आर्थिक रूप से लोकतांत्रिक निगमों या फर्मों की उपस्थिति का समर्थन करती है ताकि सभी हितधारक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों। पूंजीवाद के विपरीत, जिसने बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता पैदा की है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है।

26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसके मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। इसका मूल उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का चरित्र स्थापित करना है। इसका अर्थ है सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा देना और सभी नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अवसर प्रदान करना। संविधान के भीतर कई प्रावधानों का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की वकालत करने वाले संविधान के प्रावधान हैं-

- **मौलिक अधिकार (भाग III)**-संविधान अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करता है। इन अधिकारों में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 - 18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 - 22), और संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) शामिल हैं। ये प्रावधान भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय तक पहुंच मिले।
- **राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (भाग IV)**-राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए दिशानिर्देश हैं। हालाँकि ये अदालतों में लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन ये सिद्धांत (अनुच्छेद 36 - 51) देश के शासन में मौलिक हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। इसी प्रकार, अनुच्छेद 43ए कहता है कि राज्य उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।
- **आरक्षण नीति**-ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए भारत ने आरक्षण नीति लागू की है। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में विभिन्न आरक्षण प्रदान किए जाते हैं।
- **भूमि सुधार**-भूमि सुधार का तात्पर्य किसी देश में कृषि भूमि के स्वामित्व या स्वामित्व के तरीके में बदलाव से है। भारत में भूमि अत्यधिक असमान रूप से वितरित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत में जमींदारी प्रथा थी। इसके तहत कुछ के पास कई एकड़ जमीन थी जबकि अन्य भूमिहीन मजदूर थे। अत: देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि सुधार महत्वपूर्ण थे। सरकार ने इसे समझा और भूमि सीमा तय करके और बिचौलियों को समाप्त करके भूमि सुधार लाई।
- **शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए)**-भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है तथा यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक बच्चे को उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच मिले, जिसका उद्देश्य शैक्षिक असमानताओं को पाटना है।

का सबसे वीभत्स रूप सामने आता है। हालाँकि, 21वीं सदी में परिदृश्य बदल रहा है और बिहार अपनी राजनीतिक संस्कृति में सकारात्मक विकास देख रहा है। बिहार की राजनीतिक संस्कृति में सुधार के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- **सरकार की स्थिरता में बेहतरी**-बिहार ने हाल के वर्षों में अधिक स्थिर सरकारें देखी हैं, खासकर 2015 में हुए एनडीए-जेडीयू गठबंधन के दौरान। इससे बिहार सरकार को न केवल अपने सात-निश्चय कार्यक्रम को लागू करने में मदद मिली, बल्कि गरीब राज्यों के लिए पिछड़ा अनुदान निधि के नाम पर केंद्र सरकार से अतिरिक्त धन भी प्राप्त हुआ है।
- **चुनावी सुधार**-ईवीएम के कारण चुनावी गड़बड़ियों पर अंकुश लगने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने से एक जवाबदेह राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है।
- **सामाजिक न्याय**-सामाजिक न्याय और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास**-राज्य में सड़क नेटवर्क, शिक्षा सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत विकास देखा गया है, जो दीर्घकालिक योजना और विकास के प्रति अधिक केंद्रित दृष्टिकोण का संकेत देता है।
- **महिला सशक्तिकरण**-विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 33% तक बढ़ाने से राज्य में महिलाओं की स्थिति सशक्त हुई है। इसके अलावा, पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाकर 50% करके महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
- **युवा भागीदारी**-राजनीति और शासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे नए दृष्टिकोण और विचार सामने आए हैं।
- **अपराध में कमी**-अपराध से निपटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों से सुरक्षित वातावरण और राज्य की धारणा में सुधार हुआ है।

राजनीतिक परिदृश्य और चल रहे प्रयास और विकास बिहार की राजनीतिक संस्कृति को आकार देते रहेंगे, अगर बिना भ्रष्टाचार गतिविधियों के समर्पित होकर काम किया जाए।

2. (क) "क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में, राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है।" भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में, आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए।

उत्तर- क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार 1956 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के माध्यम से पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की वर्तमान संरचना परिषदें इस प्रकार हैं-

- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं।
- मध्य क्षेत्रीय परिषद्, में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्, में बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्, में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्, में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।

उत्तर पूर्वी राज्य यानी (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिजोरम (vi) मेघालय और (vii) नागालैंड क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं और उनकी विशेष समस्याओं की देखभाल उत्तर पूर्वी परिषद् द्वारा की जाती है, जिसे उत्तर पूर्वी परिषद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित किया गया है।

भारत में क्षेत्रीय परिषदें महत्वपूर्ण अंतरसरकारी निकाय हैं जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्षेत्रीय परिषदों के कामकाज में निम्नलिखित शामिल हैं-

- **प्रकृति में सलाहकार**-परिषदें सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करती हैं और उनके पास कोई कार्यकारी शक्तियाँ नहीं होती हैं। उनकी सिफारिशें सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं और निर्णयों का कार्यान्वयन व्यक्तिगत राज्यों की अनुपालन की इच्छा पर निर्भर करता है।
- **संरचना**-प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और इसमें कुछ केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं।
- **नियमित बैठकें**-क्षेत्रीय परिषदें जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास जैसे सामान्य हित और चिंता के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करती हैं।

- **स्थायी समितियाँ**-दक्षता बढ़ाने के लिए तथा विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियाँ चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करती हैं और सुधार के उपाय सुझाती हैं।
- **क्षेत्रीय योजना**-क्षेत्रीय परिषदें विकास योजनाओं और परियोजनाओं का समन्वय करके क्षेत्रीय योजना में भूमिका निभाती हैं जो क्षेत्र के भीतर कई राज्यों को लाभ पहुंचाती हैं।
- **संघर्ष के समाधान**-वे राज्यों को अंतर-राज्य विवादों को संबोधित और हल करने तथा सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना** - क्षेत्रीय परिषदें शासन और नीतियों में सुधार के लिए राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती हैं।

हालाँकि अंतरराज्यीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए जोनल काउंसिल एक अच्छी पहल रही है, फिर भी इसके प्रभावी कामकाज में कई सीमाएँ हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- **सीमित अधिकार**-क्षेत्रीय परिषदों के पास प्रवर्तनीय अधिकार का अभाव है, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। चूँकि उनकी सिफ़ारिशें गैर-बाध्यकारी हैं, इसलिए राज्य हमेशा उनके कार्यान्वयन को प्राथमिकता नहीं देते, जिससे उनके निर्णयों का प्रभाव कम हो जाता है।
- **ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार**-जब मुद्दे एक से अधिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषदों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे विभिन्न परिषदों की सीमाओं के बीच आने वाले कुछ मामलों में संभावित भ्रम या उपेक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **संसाधन की कमी**-सलाहकार निकाय होने के बावजूद, क्षेत्रीय परिषदों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होती है। चूँकि संसाधनों का आवंटन हमेशा इष्टतम नहीं हो सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- **राजनीतिक गतिशीलता**-क्षेत्रीय परिषदों की प्रभावशीलता राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राजनीतिक संबद्धता और प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित हो सकती है, जिससे कुछ मामलों में सहयोग और समन्वय में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **जन-जागरूकता की कमी**-क्षेत्रीय परिषदों से आम जनता अच्छी तरह से परिचित नहीं है, जिससे नागरिक भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

इस प्रकार, भारत में क्षेत्रीय परिषदें अंतरसरकारी सहयोग और समन्वय के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती हैं लेकिन उनका प्रभाव उनकी सलाहकार प्रकृति और सीमित अधिकार से बाधित होता है। उनकी प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए, सरकार को संसाधनों की कमी को दूर करना चाहिए और व्यापक जन-जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए।

अथवा

(ख) जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं ? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है ? अपने कारण दीजिए।

उत्तर- भारत में 3,000 से अधिक जातियाँ और 25,000 उपजातियाँ हैं। प्राचीन काल से, जाति व्यवस्था को सामाजिक भूमिकाओं का एक पदानुक्रम प्रदान करने के लिए माना जाता है जिसकी विशेषताएं अंतर्निहित होती हैं, यही कारण है कि जाति ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां ऊंची जाति ने व्यवस्था में अधिकांश शीर्ष पदों पर कब्जा करके निचली जाति पर हावी होने की कोशिश की, वहीं निचली जाति ने ऊंची जाति के आधिपत्य के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। हालाँकि, स्थिति में सुधार हुआ। इस मामले में बी. आर. अंबेडकर की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि को शैक्षणिक संस्थानों, नौकरियों, पदोन्नति, राजनीति आदि में अच्छी मात्रा में आरक्षण प्राप्त है। इससे न केवल देश में पिछड़ी जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उन्हें कई उच्च जाति के लोगों से कई पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है।

भारतीय राजनीति में विकास और जाति के परिवर्तन और अंतरसंबंध-

- **मंडल आयोग और आरक्षण**-भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव 1980 के दशक के अंत में मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन था। इससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों का आरक्षण हुआ, जो मुख्य रूप से जाति के आधार पर निर्धारित किया गया था। आरक्षण नीतियों ने विभिन्न जाति समूहों को राजनीतिक मोर्चे पर ला दिया और चुनावी परिदृश्य की गतिशीलता को बदल दिया।

- **क्षेत्रीय दलों का उदय**-जाति-आधारित राजनीति ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय में योगदान दिया है जो विशिष्ट जाति समूहों या समुदायों का प्रतिनिधित्व करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये पार्टियाँ अकसर अपने-अपने समुदायों की वकालत करती हैं और उनके हितों की रक्षा करना चाहती हैं। ऐसी पार्टियों के उद्‌भव ने राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया है और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति में जटिलता बढ़ा दी है।
- **जाति गठबंधन और पुनर्सरेखण** - एक तरफ जहां जाति की पहचान चुनावी राजनीति में एक प्रमुख कारक रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां राजनीतिक हितों और रणनीतियों के आधार पर जाति गठबंधन और पुनर्सरेखण हुए हैं। व्यापक मतदाता आधार हासिल करने के लिए पार्टियाँ विभिन्न जाति-आधारित समूहों के साथ गठबंधन बना सकती हैं, जिससे मतदान पैटर्न में अस्थायी बदलाव आएगा। यह चुनाव के लिए पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन को भी प्रभावित करता है।
- **शहरीकरण और बदलती गतिशीलता**-बढ़ते शहरीकरण और आधुनिकीकरण के साथ शहरी क्षेत्रों में जाति का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ है। शहरी मतदाता अकसर पारंपरिक जाति-आधारित चिंताओं पर विकास, बुनियादी ढांचे और शासन से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महत्वपूर्ण जाति-आधारित राजनीतिक लामबंदी देखी जा रही है।

भारतीय राजनीति में जाति के चरित्र को कम करने के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों में प्रयासों की आवश्यकता है-

- **समावेशी विकास**-समावेशी विकास का अर्थ जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति आदि से परे समाज के सभी वर्गों का विकास है।
- **शिक्षा और जागरूकता**-जाति - आधारित भेदभाव के हानिकारक प्रभावों और अधिक योग्यता आधारित समाज के महत्व के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने से जाति-आधारित पहचान की कठोर सीमाओं को मिटाने में मदद मिल सकती है।
- **सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व**-राजनीतिक संस्थानों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने से अधिक समावेशी शासन और नीतियां बन सकती हैं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति-आधारित राजनीति को लेकर परिवर्तन तो आये हैं, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। इससे निपटने के लिए विकासोन्मुख नीतियों को बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सामान्य लक्ष्यों की ओर अधिक उन्मुख होना चाहिए जो जातिगत अंतर के बावजूद सभी का पक्ष लेते हैं। भाई-भतीजावाद की उपेक्षा कर योग्यता आधारित तंत्र की ओर बदलाव से राजनीति में जाति के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

3. (क) भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। बिहार में शेषन-पूर्व और शेषन युग में चुनावों के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिये। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है ?

उत्तर- भारत का चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। निकाय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हों। भारत के चुनाव आयोग की विभिन्न भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं-

- **मतदाता सूची तैयार करना**-मतदाता सूची मतदाताओं की एक सूची को संदर्भित करती है। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की देखरेख करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सटीक और अद्यतित हैं। इसमें पात्र मतदाताओं का नामांकन और अयोग्य मतदाताओं को सूची से हटाने की प्रक्रिया शामिल है।
- **पार्टियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन**-भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।
- **राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय दलों की स्थिति का आवंटन**-चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक संगठनों को पंजीकृत करता है और चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देता है।
- **मतदाता को जागरूक करना**-आयोग मतदाताओं के बीच उनके मतदान के अधिकार, मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है।
- **चुनाव कार्यक्रम**-भारतीय चुनाव आयोग समय पर और सुनियोजित तरीके से मतदान और मतगणना की तारीखों सहित चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है।
- **आदर्श आचार संहिता (MCC)**-चुनाव आयोग चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता (राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का मार्गदर्शन) लागू करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखें और किसी भी तरह के कदाचार में शामिल न हों। मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

- **उम्मीदवार नामांकन**-भारतीय चुनाव आयोग उम्मीदवार नामांकन की प्रक्रिया की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए नामांकन पत्रों की जांच करता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- **मतदान केंद्र प्रबंधन**-आयोग सुचारू और कुशल मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन की देखरेख करता है। यह सभी पात्र मतदाताओं के लिए सुलभ मतदान केंद्र उपलब्ध कराने के उपाय करता है।
- **सुरक्षा व्यवस्था**-चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करता है।
- **चुनाव पर्यवेक्षक**-आयोग पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अनियमितता या उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM)** – चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिनका उपयोग देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान के लिए किया जाता है।
- **मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा**-ECI वोटों की गिनती की निगरानी करता है और परिणामों को पारदर्शी तरीके से घोषित करता है।
- **शिकायतों का निवारण**-चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों का समाधान करता है और किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करता है।
- **चुनावी सुधार**-आयोग चुनावी प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाने के लिए चुनावी सुधारों का सुझाव और वकालत भी करता है।

सत्र-पूर्व चुनाव और सत्र-पश्चात चुनाव ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग क्रमश: विधायी सत्र से पहले और बाद में होने वाली चुनावी घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्तूबर-नवंबर 2020 में हुए। चुनाव के बाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालाँकि, बाद में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू अगस्त 2022 में एनडीए से अलग हो गई और बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने के लिए राजद के साथ गठबंधन किया।

हालाँकि चुनाव के बाद गठबंधन को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है क्योंकि इससे मतदाताओं के विश्वास के साथ विश्वासघात होता है और लोकतंत्र के सिद्धांतों का अंत होता है। उदाहरण के लिए, बिहार के मामले में जनता ने जेडीयू को यह मानकर वोट दिया होगा कि वह नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के तहत एनडीए के साथ काम करेगी। लेकिन मतदान के बाद जेडीयू का एनडीए को छोड़कर राजद के साथ गठबंधन करना मतदाताओं के विश्वास को चकनाचूर कर देता है।

अथवा

(ख) राज्य सभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए और संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्य सभा को राज्यों की परिषद् के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा की संरचना और शक्तियाँ इस प्रकार हैं–

सदस्य-राज्यसभा में ऐसे सदस्य होते हैं जो सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता वाले अधिकतम 12 सदस्यों तक नामित कर सकते हैं। राज्यसभा की वर्तमान संख्या 250 सदस्यों की है, जिनमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। फिलहाल राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश और अन्य पार्टियों से हैं सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी से हैं।

शक्तियाँ और कार्य–

- **विधायी शक्तियाँ**-सामान्य विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान विधायी शक्तियाँ हैं, हालाँकि, धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ हैं। राज्यसभा की अन्य विधायी शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं–
- लोकसभा भंग होने या सत्र में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा राज्यसभा द्वारा पारित की जाती है।
- केंद्र और राज्य के लिए एक समान अखिल भारतीय सेवाएँ केवल राज्यसभा की पहल से ही बनाई जा सकती हैं। राज्यसभा से कोई भी प्रस्ताव पारित कराने के लिए राज्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का होना अनिवार्य है।
- राज्य सूची के किसी भी विषय पर कोई भी कानून राज्यसभा की दो-तिहाई मंजूरी के बिना संसद द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।
- **संघीय संरचना**-राज्यसभा यह भारत की संघीय संरचना का प्रतिनिधित्व करते हुए सुनिश्चित करती है कि राज्यों को राष्ट्रीय नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में एक आवाज मिले।